

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 510 / 36सी.

दिनांक रानीखेत मार्च 04 / , 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.398 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोलड अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी का पत्रांक 1151/FP/UK/ROAD/9004/2014 दिनांक 15.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/144/2015/एफ.सी./1520 दिनांक 08.10.2015 द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि हस्तान्तरण के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन निम्नप्रकार किया गया है :-

बिन्दु सं. 1 :- शर्त सं 0 1 के अनुपालन में पातन किये जाने वाले वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 380 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2566/12-1(2) दिनांक 09.11.2015 के अनुसार रु. 380000.00 की धनराशि जमा की जा चुकी है।

बिन्दु सं. 2 :- शर्त सं 0 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के उक्त पत्र द्वारा आंकलित की गई एन.पी.वी. की धनराशि रु. 336310.00 जमा की जा चुकी है।

बिन्दु सं. 3 :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लेखित शर्तानुसार एन.पी.वी. आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से प्राप्त डिमाण्ड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया है तदपश्चात् ऑन लाईन चालान जनरेट कर धनराशि रु. 716310.00 का भुगतान किया जा चुका है।

बिन्दु सं. 4 :- शर्त सं 0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचन बद्धता कि समक्ष स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में वृद्धि होती है तो बड़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं. 5 :- शर्त सं 0 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से कारपोरेशन बैंक लोधी शाख, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु सं 0 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उपरोक्त देय धनराशि रु. 716310.00 का भुगतान ऑन लाईन चालान जनरेट कर किया जा चुका है।

बिन्दु सं. 6 :- शर्त सं 0 5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

बिन्दु सं. 7 :- इस परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित होने वाले मलवे का निस्तारण नाप भूमि में किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि मार्ग की विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न - उत्तराखण्ड (बिन्दु सं - 4 0 6)

प्रमाण पत्र

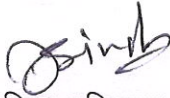
(कुन्दन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

परियोजना का नाम :-

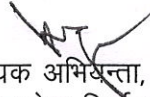
जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग
का नव निर्माण (0.398 हे०)

प्रमाण-पत्र

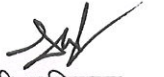
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सक्षम स्तर से N.P.V.
धनराशि में बढ़ोत्तरी की गयी तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा करा दी
जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

परियोजना का नाम :-

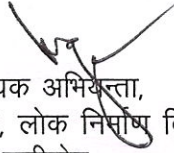
जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग
का नव निर्माण (0.398 हे०)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों ओर किनारों तथा (Central verge) पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत